निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SR-09/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री विनय कुमार द्विवेदी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.04.2018 से 26.04.2018 तक श्री आर.एस.नेगी-II लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रवि भूषण ले.प. द्वारा दिनांक 03.05.2017 से 09.05.2017 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** -

3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	
2015-16	शून्य
2016-17	

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	-	-	115.83	106.43	-	9.40
2016-17	-	-	16.00	16.00	78.65	66.74	-	11.91
2017-18	-	--	-		92.56	63.87	-	28.69

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- महानिरीक्षक निबन्धन- अपर महानिरीक्षक निबन्धन (1) - वैयक्तिक सहायक(1) - सहायक महानिरिक्षक निबन्धन(1) - उप निबन्धक(1) - मुख्य निबन्धन लिपिक(1) - निबन्धन लिपिक(2)

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह .....लागू नहीं..... को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ...03/2018..... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II(ब)</u>

प्रस्तर : 1 : अभिलेखों के सत्यापन के बगैर ₹ 176.25 लाखअवमुक्त किया जाना।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन शासन से प्राप्त बजट का अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटन करता है तथा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों पर इसका वित्तीय नियंत्रण है। इसी क्रम में यह कार्यालय शासन से प्राप्त बजट न्यायिक एवं न्यायकेत्तर स्टाम्प के लिए कोषागारों को आवंटित करता है।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 के लिए न्यायकेत्तर स्टाम्प मद में ₹ 176.25 लाख का धनावंटन हरिद्वार कोषागार को वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के न्यायकेत्तर स्टाम्प के कालातीत देयकों के भुगतान हेतु अवमुक्त किए गए थे।

लेखापरीक्षा में Security Printing Press से स्टाम्प कब प्राप्त हुए तथा उनकी प्राप्ति पर प्रविष्टि किस अभिलेख में की गयी विगत 10 वर्षों से यह liability pending किन कारणो से रही, कोषागार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्टांप्स मद में pending liability कब सूचित की गयी, आदि ज्ञात नहीं हो पाया। । लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया गया कि इन सभी के लिए Indent Period 2005-06 से 2007-08 की थी जबकि indent date 13.07.2016 अंकित की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि वस्तु स्थिति CTO हरिद्वार के अभिलेखों से संबन्धित होने अपेक्षित है । तदक्रम में सूचना प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाएगी।

इस प्रकार,₹ 176.25 लाख का धनावंटन वर्ष 2005 से 2008 की अवधि के कालातीत देयकों के भुगतान हेतु पूर्ण अभिलेखों के सत्यापन के बगैर अवमुक्त किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II(ब)

प्रस्तर : 2 : ₹ 79.95 लाख मूल्य के स्टाम्प का 20 वर्षों से अवरोधित रहना ।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के नियम 120-124 में प्राप्त किये गये स्टाम्पों की मात्रा के बीच अंतर के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया उल्लेखित है।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि केन्द्रीय मुद्रांक डिपो, नासिक रोड द्वारा वर्ष 1988 में कोषागार, रुड़की को नब्बे लाख के भेजे गये स्टाम्पों में से **₹** 10,05,250/- (रुपए दस लाख पाँच हजार दो सौ पचास) मूल्य के स्टाम्प कम प्राप्त हुये शेष **₹** 79,94,750/- मूल्य के स्टाम्प वर्ष 1988 से दो तालक में शील्ड बंद रखे गये थे । इस प्रकार, ₹ 79.95 लाख के स्टाम्प विगत 20 वर्षों से अवरोधित थे।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर इकाई ने उत्तर दिया कि प्रकरण में कार्यवाही गतिमान है सूचना प्राप्त कर प्रेषित कर दी जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि 20 वर्षों के उपरांत भी अवशेष स्टाम्प ₹79.95 लाख की राशि अवरोधित है ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN-01

न्यायिक एवं न्यायकेत्तर स्टाम्प के लेखों का रख-रखाव न किया जाना।

कार्यालय महानिरीक्षक, निबंधन शासन से प्राप्त बजट का अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटन एवं नियंत्रण रखता है और शासन से न्यायिक एवं न्यायकेत्तर स्टाम्प के लिए प्राप्त बजट कोषागारों को आवंटित करता है लेखापरीक्षा में न्यायिक एवं न्यायकेत्तर स्टाम्प के संबंध में निम्न प्रारूप में विगत तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18 तक) का लेखा मांगा गया था ।

<u>न्यायिक स्टाम्प के संबंध में</u>

वर्ष	पूर्व वर्ष का अंतशेष	केन्द्रीय मुद्रांक डिपोसे प्राप्त कुल स्टाम्प का मूल्य	वर्तमान वर्ष में बिक्री के लिए उपलब्ध स्टाम्प	कुल बिक्री	कुल वापसी हुये स्टाम्पों के मूल्य	अभ्युक्ति
2015-16						
2016-17						
2017-18						

<u>न्यायकेत्तर स्टाम्प के संबंध में</u>

वर्ष	पूर्व वर्ष का अंतशेष	केन्द्रीय मुद्रांक डिपोसे प्राप्त कुल स्टाम्प का मूल्य	वर्तमान वर्ष में बिक्री के लिए उपलब्ध स्टाम्प	कुल बिक्री	कुल वापसी हुये स्टाम्पों के मूल्य	अभ्युक्ति
2015-16						
2016-17						
2017-18						

उक्त के साथ-साथ लेखा परीक्षा ने यह भी जानकारी चाही गयी कि क्या जनपदवार स्टाम्प के लेखों का अभिलेखीकरण किया जा रहा है और क्या मासिक अथवा त्रै-मासिक कोई प्रतिवेदन जनपदवार प्राप्त किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि सूचना प्राप्त कर प्रेषित की जाएगी।इकाई के उत्तर से स्पष्ट था कि मुख्यालय स्तर पर न्यायिक एवं न्यायकेत्तर स्टाम्प के लेखों व मूल्य का रख-रखाव व नियंत्रण नहीं किया जा रहा था।

भाग-III

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
RS/SR-08/2017-18	-	01	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी
RS/SR-08/2017-18	01	तत्सम्बंधी कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र की जमा प्रति संलग्न की गयी है कार्यालय नवीन भवन में कार्यकार रहा है।	उक्त भवन के कार्य पूर्ण होने सम्बन्धी पत्र में कार्यलाय के अगले उच्चतर अधिकारी को संस्तुति सम्बंधी पत्र नहीं उपलब्ध कराया है इसलिए प्रस्तर निस्तारित है नहीं किया जा सकता है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V
आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री रणवीर सिंह चौहान	महा. निबन्धन
(ii)	श्री अमित नेगी	महा. निबन्धन
(iii)	श्री श्रीधर बाबू आदांकी	महा. निबन्धन
(iv)	श्री अमित नेगी	महा. निबन्धन
(v)	श्रीमती सौजन्या	महा. निबन्धन.

   लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र